

59वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी
अन्तिम तिथि: 27 सितम्बर, 2017
सायं 5.00 बजे तक

बुक-पोस्ट

To,

प्रेषक :

राजस्थान ललित कला अकादमी
जे- 15, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र
झालाना डूंगरी, जयपुर-302004
दूरभाष नं. 0141-2700784

59वीं
वार्षिक कला प्रदर्शनी
2017-18

नियमावली



राजस्थान ललित कला अकादमी

जे-15, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र
झालाना डूंगरी, जयपुर-302004
दूरभाष नं. 0141-2700784

अन्तिम तिथि : 27 सितम्बर, 2017 को सायं 5.00 बजे तक

59वीं
वार्षिक कला प्रदर्शनी
2017-18

पुरस्कार

1. (क) 59वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में 25-25 हजार रुपये के दस पुरस्कार दिये जायेंगे। इनमें से दो पुरस्कार ग्राफिक ड्राइंग के लिए तथा दो मूर्तिकला के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे, परन्तु निर्णायक यदि दोनों वर्गों में से किसी भी वर्ग या दोनों में ही किसी कलाकृति को पुरस्कार योग्य उपयुक्त न समझे तो इन वर्गों के पुरस्कार रोक दिये जायेंगे। किसी भी स्थिति में पुरस्कार विभाजित नहीं किये जायेंगे।
 - (ख) गत वर्ष प्रदर्शनी में पुरस्कृत कलाकारों की कृतियां इस वर्ष पुरस्कार हेतु सम्मिलित नहीं की जायेंगी।
 - (ग) अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार राज्य कला पुरस्कार कहलायेंगे।
 - (घ) कलाविद् (फैलोशिप) से सम्मानित कलाकार वार्षिक प्रदर्शनी में 'अतिथि कलाकार' के रूप में भाग ले सकेंगे।
 - (ङ) अकादमी द्वारा तीन अथवा तीन से अधिक बार पुरस्कृत कलाकार प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
 - (च) अकादमी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कला प्रदर्शनियों में पुरस्कृत कलाकार अपनी कृतियां प्रतियोगिता "प्रतियोगिता के लिए नहीं" श्रेणी के अन्तर्गत भेज सकते हैं। 'घ' 'ङ' एवं 'च' श्रेणी के कलाकारों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - (छ) किसी भी शिक्षण संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी केवल छात्रकला प्रदर्शनी अथवा राज्य कला प्रदर्शनी में से किसी एक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकेंगे।
2. (क) वे कलाकार जो राजस्थान में पिछले पाँच वर्ष से कम तथा राजस्थान से बाहर पिछले पाँच वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, वार्षिक प्रदर्शनी में "प्रतियोगिता के लिए नहीं" श्रेणी के अन्तर्गत ही भाग ले सकते हैं।

(ख) इस नियमावली में उल्लिखित नियमों का पालन न होने पर कलाकृतियों को प्रदर्शनी में स्थान नहीं दिया जाएगा।

अन्तिम तिथि

3. प्रवेश पत्र, प्रवेश शुल्क 100/- रुपये (नकद अथवा मनीऑर्डर) तथा कलाकृतियाँ अकादमी कार्यालय में दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को सायं 5.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेंगी।

नियम व शर्तें

4. प्रदर्शनी में भेजी गई तथा निर्णायकों द्वारा स्वीकार की गई प्रत्येक कलाकृति स्वमेव पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित समझी जायेगी जब तक की प्रवेश पत्र में "प्रतियोगिता के लिए नहीं" उल्लिखित न हो।
5. सभी पुरस्कार कलाकृति के अपने ही गुण पर प्रदान किये जायेंगे।
6. निर्णायकों की घोषणा प्रदर्शनी के सूची-पत्र में कर दी जाएगी।
7. प्रदर्शनी के लिए एक कलाकार चित्र/मूर्ति/ग्राफिक/ड्राइंग में से किसी एक विधा में ही भाग ले सकेगा एवं तीन कलाकृतियाँ भेजना अनिवार्य होगा। तीन से कम कृतियां देने पर उन्हें "प्रतियोगिता के लिए नहीं" श्रेणी में रखा जाएगा।
8. मूर्तियाँ मजबूत माध्यम से ही बनी हुई हों फिर भी चूंकि यह प्रदर्शनी राज्य में अन्य केन्द्रों तथा राज्य के बाहर भी आयोजित की जा सकती है इसलिए सुविधा की दृष्टि से 6 फुट से ज्यादा ऊँचाई की रचना एवं अत्यधिक भारी मूर्ति न हो जिससे उन्हें बाहर ले जाने वाली प्रदर्शनी में शामिल किया जा सके।
9. प्रदर्शनी हेतु चयनित कृति यदि सावधानी के बावजूद अकादमी में किन्हीं अपरिहार्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाए तो अकादमी हर्जाने के रूप में 200/- रुपये तक देगी जो रचना प्रदर्शनी हेतु स्वीकार नहीं हुई हो तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। कलाकृति को बीमा द्वारा प्रदर्शनार्थ भेजा जाए तो यह कलाकारों के हित में होगा।
10. प्रदर्शनी के लिए स्वीकार प्रत्येक कलाकृति के प्रकाशन का अधिकार अकादमी पूर्णतया सुरक्षित रखती है।
11. प्रत्येक कलाकार को उद्घाटन समारोह के निमंत्रण-पत्र के अतिरिक्त सूची-पत्र की एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

12. प्रतियोगिता के लिए भेजी गई सभी कलाकृतियां निर्णायक समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जायेंगी और प्रदर्शनार्थ स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उस समिति को ही होगा।
13. संदूकों पर कीलों की जगह स्कू लगे होने चाहिए। उन्हें कीलों द्वारा बन्द न किया जाए। संदूक के अन्दर कलाकृतियों से सम्बन्धित नाप, उनकी संख्या, सूक्ष्म विवरण, प्रेषक कलाकार का नाम और पता स्पष्ट लिखा या टाइप किया हुआ होना चाहिए।
14. प्रदर्शनार्थ भेजी जाने वाली चित्रकृतियाँ भली प्रकार से मढ़ी अथवा माउंटेड होने पर ही स्वीकार की जायेंगी।
15. प्रत्येक कलाकृति पर दो लेबल होने चाहिए जिनमें से एक कलाकृति के पीछे चिपका हुआ हो एवं एक धागे से बंधा हुआ हो। दोनों स्पष्ट एवं पूर्ण लिखित या टाइप किये हुए हों।
16. अकादमी को दी गई सूचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कलाकार को अधिकार उल्लिखित सूचना के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा न होने पर प्रवेश पत्र में दी गई सूचना ही अन्तिम और मान्य समझी जायेगी और उसी के आधार पर कलाकार को अपने लेबलों में दी गई सूचना में सुधार करना होगा। भरा जाने वाला प्रवेश पत्र अकादमी के अधिकृत फार्म पर ही होना चाहिए।
17. कोई भी कलाकार, जिसकी कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हों, किसी भी परिस्थिति में मुख्य एवं चल प्रदर्शनी का कार्य समाप्त होने से पूर्व अपनी कृति वापस नहीं मांग सकेगा। केवल विशेष परिस्थिति में अकादमी के सचिव की अनुमति से ही चयनित कृति वापस मिल सकेगी।
18. निर्णायक समिति द्वारा घोषित परिणाम अन्तिम समझे जायेंगे तथा इनके विरुद्ध कोई भी प्रतिवेदन स्वीकृत नहीं होगा।
19. सभी समान कैरेज पेड करके भेजा जाना चाहिए। कैरेज पर "59वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी" हेतु लिखा होना चाहिए। इस पर भी सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी, अकादमी संकुल, जे-15 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 का पता स्पष्ट होना चाहिए।
20. प्रदर्शनी के लिए कलाकृतियों का कलाकार द्वारा भेजे जाने का यह स्वतः अर्थ होगा कि वह उपरोक्त सभी नियम-उपनियम आदि स्वीकार करता है।

21. पुरस्कृत कलाकारों को पुरस्कार राशि वार्षिक कला प्रदर्शनी के प्रमुख समारोह के समय दी जायेगी।
22. यदि कोई कलाकार नियमों के पालन में असमर्थ व गलत साबित होता है तो उसको पुरस्कार की सम्पूर्ण राशि व प्रमाण-पत्र आदि वापस करने होंगे।
23. 59वीं वार्षिक प्रदर्शनी की कृतियां व अकादमी द्वारा विक्रय की जाने वाली प्रत्येक कलाकृति पर 10 प्रतिशत कमीशन 'कलाकार सहायता कोष' हेतु काटा जाएगा।
24. अकादमी की पूर्व वार्षिक प्रदर्शनियों हेतु भेजी गई कलाकृतियों एवं अन्य किसी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में चयनित कृतियाँ 59वीं वार्षिक प्रदर्शनी हेतु सम्मिलित नहीं की जायेगी व कृतियां नवीनतम निर्मित होनी चाहिए एवं वर्ष 2016 से पूर्व की बनी हुई नहीं होनी चाहिए।
25. इस प्रविष्टि के साथ 100/- रुपये नकद या मनीआर्डर सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी के नाम भेजने पर ही कृतियाँ प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता हेतु स्वीकार की जायेंगी।
26. कलाकार के लिए प्रवेश पत्र पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना व अपना सम्पूर्ण बायोडाटा भेजना अनिवार्य होगा।
27. कलाकार अकादमी द्वारा पूर्व में आयोजित प्रदर्शनियों में भेजी गई कृतियों की प्राप्ति के पश्चात् ही 59वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में भाग ले सकेगा।
28. सभी प्रकार का पत्र-व्यवहार, सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी, अकादमी संकुल, जे-15, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 के पते पर होना चाहिए।

कलाकृतियों की वापसी

29. (क) प्रदर्शनियों के पश्चात् कृतियाँ वापस ले जाने हेतु अकादमी द्वारा पत्र लिखने के एक माह बाद कृतियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में अकादमी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- (ख) जो कलाकार अकादमी कार्यालय में कृतियां देंगे उन्हें अकादमी द्वारा कृतियाँ वापस ले जाने हेतु पत्र मिलने पर, एक माह के भीतर स्वयं आकर कृतियां ले जाना अनिवार्य होगा।

